राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1091/2025

विष्णुदत्त शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रशिक्षण, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा।
4. हरिमोहन मीणा वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर कोटा पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में संस्थापन अधिकारी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से निदेशालय, जोधपुर किया गया है। आदेश दिनांक 04.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया है और दिनांक 11.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उसी वर्तमान कार्यालय में पदस्थापित किया गया, जिसके पश्चात् अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है और निजी

प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। वर्तमान कार्यालय में अपीलार्थी जनवरी, 2021 से कार्यरत है और ऐसे में अपीलार्थी लगभग गत 5 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत है। चूंकि अपीलार्थी की 3 माह पूर्व पदोन्नति हुई है। अपीलार्थी लगभग 5 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत है और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण 5 वर्ष बाद अन्यत्र स्थान पर किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष